<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनगर जिला नैनीताल</u>
पीठासीन अधिकारीः राजीव धवन, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 55 सन् 2026
Bail Registration No. 55 of 2026
CNR No. UKNA0C-000407-2026

तनिष्क बोरा पुत्र गोपाल सिंह बोरा,
निवासी–गली नं 8, वार्ड नं 14, शिल्पकार कालौनी,
टेडा रोड रामनगर, जिला–नैनीताल।

.....अभियुक्त।

प्रति

उत्तराखण्ड राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मु0अ0सं0 : 11/2026
धारा : 118(1), 352, 137(2), 62, 109, 140(1)
324(4), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023

<u>उपस्थित अधिवक्ताः</u>
अभियुक्त की ओर से :– श्री दीपक जोशी, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर सेः– श्रीमती शैफाली शर्मा, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी।

–<u>आदेश</u>–

<u>दिनांकः 22.05.2026–</u>

प्रार्थी/अभियुक्त तनिष्क बोरा पुत्र गोपाल सिंह बोरा, निवासी–गली नं 8, वार्ड नं 14, शिल्पकार कालोनी टेडा रोड, रामनगर, जिला–नैनीताल जो कि थाना कोतवाली रामनगर में दर्ज मु0अ0सं0 11/2026, धाराः 118(1), 352, 137(2), 62, 109, 140(1), 324(4), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सम्बन्ध में उसकी ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा उसके द्वारा उपरोक्त धाराओं का कोई उल्लंघन नहीं किया है बल्कि वादी मुकदमा के द्वारा थाना हमसाज होकर मामले में झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्धन व्यक्ति है तथा मजदूरी कर अपना व परिवार का भरण पोषण करता है। उक्त अपराध सत्र परीक्षणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मामले की जानकारी नहीं थी जिस कारण मा0 न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोतवाली रामनगर से आख्या तलब फरमाकर आत्मसमर्पण किया है। घटना रिपोर्ट सोची समझी साजिस के तहत देरी से लिखवायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त को कोई भी न्यायालय से कभी भी दण्डित नहीं किया गया है व उससे कोई बरामदगी नहीं है व उसके द्वारा वादी मुकदमा को कोई चोट नहीं पहुचायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त सक्षम जमानती माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा व प्रत्येक तिथियों पर हाजिर अदालत आता रहेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी।

3– अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पर कोतवाली रामनगर से आख्या तलब की गयी। कोतवाली रामनगर से तलब आख्या के अनुसार दिनांक 15.01.2026 को वादी बबाड़ी पुत्र स्व0 दामोदर बवाड़ी निवासी–टेडा रोड रामनगर जिला नैनीताल की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर उपर्युक्त अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर उपरोक्त धाराओं का अपराध किया गया है जिसके पूर्ण साक्ष्य हैं। अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी के साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा तमंचे के बल पर उसे गाड़ी में डालकर अपहरण करने का प्रयास किया गया तथा जान से मारने की नियत से सह अभियुक्त कौशल चिल्वाल द्वारा उस पर फायर किया गया। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है तथा अभियुक्त जमानत मिलने पर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा। अभियुक्त बाद जमानत के वादी मुकदमा व गवाहों को डरा–धमकाकर साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है तथा जमानत के बाद उसके फरार होने की पूर्ण संभावना है। अतः अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध किया जाता है।

4– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के संबंध में यह आख्या अंकित की गयी कि उपरोक्त मामले में धारा 109 व 118(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 अजमानतीय प्रकृति के हैं तथा शेष धाराएं जमानतीय प्रकृति के हैं। धारा 109 भारतीय न्याय संहिता, माननीय सेशन न्यायलय द्वारा विचारण योग्य है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय तथा सत्र न्यायालय में विचारण योग्य है। अतः जमानत का विरोध किया जाता है।

5– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती शैफाली शर्मा तथा अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक जोशी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त तनिष्क बोरा के विरुद्ध अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक षडयंत्र के तहत वादी मुकदमा को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किये गये होने, वादी मुकदमा के साथ गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी देकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट किये गये होने, अपहरण किये गये होने तथा वादी मुकदमा की मोटर साइकिल को क्षतिग्रस्त कर रिष्टि कारित किये गये होने का आरोप है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अजमानतीय, गंभीर प्रकृति एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त तनिष्क बोरा पुत्र गोपाल सिंह बोरा का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

7– अभियुक्त को आदेश की प्रति निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाये और इस सम्बन्ध में जरिये ई–मेल उप–कारागार, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

(राजीव धवन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामनगर, जिला नैनीताल।